रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 1983/कार्तिक 19, 1905
No 12] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 1983/KARTIKA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1983

स पी डब्ल्यू/पी ई एस -6/83.—केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री जफर सैफुल्लाह, आई ए एस. को अगला आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तारीख से बंबई पोर्ट ट्रस्ट, बंबई में उप अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

एस. एन. ब्रह्मा, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Port Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1983

No. PW|PES-6|83.—In exercise of the powers conferred on them by clause (6) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government appoint Shri Zafar Saifullah, IAS as Deputy Chairman, Bombay Port Trust, Bombay with effect from the date he takes over charge of the post and until further orders.

S. C. BRAHMA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983